न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2020-00293Ju2020-151 Magaram Vs Lumbaram etc

---

01. मगाराम पुत्र श्री धीराराम जाति जाट, निवासी- मोरनावड़ा, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. लूम्बाराम पुत्र श्री लखपतराम, जाति जाट, निवासी- मोरनावड़ा तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी दिनांक 22 अक्टूबर 2020 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2019 लूम्बाराम बनाम मगाराम व अन्य

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री बलवीर चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशन लाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 25 अक्टूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2019 लूम्बाराम बनाम मगाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 22 अक्टूबर 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 11 नवंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम मोरनावड़ा तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में प्रार्थी के खातेदारी खसरा नं. 151/1 रकबा 33.19 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थी के इस खातेदारी की भूमि तक पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 154/3 रकबा 9 बीघा में सें 30 फीट चौड़ा रास्ता दिया जावें। प्रार्थी/रेस्पोडेंट के आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 अक्टूबर 2020 के जरिये स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं रेकर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जो काबिल निरस्त है। परिक्षण न्यायालय के सामने अपीलांट/अप्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पो. एक विशेष स्थल के संबंध में रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इससे पूर्व ही कदीमी रास्ते को रास्ते के रूप में रेकर्ड में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार बावड़ी द्वारा दिनांक 13.06.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया जाकर कर खसरा नं. 151/1, 154/3, 142 व अन्य खसरान् में विद्यमान कदीमी रास्ते को रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया जो संपूर्ण कार्यवाही एवं मौका रिपोर्ट के बाद शिविर प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा दिनांक 1.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार में स्वीकार किया गया। कदीमी रास्ते का नक्शा तहसीलदार बावड़ी, भू-अभिलेख निरीक्षक खेड़ापा ओर पटवार मण्डल सोयला द्वारा पेश किया गया, उसके अनुरूप रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है। आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट की ओर दिनांक 04.02.2020 से पेश की गई जो अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय की आदेशिका में उल्लेखित है। इसके बाद कोई प्रभावी आदेशिका नहीं लिखी गई और दिनांक 22.10.2020 को आलोच्य अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर कोई विवेचना किये बिना ही केवल इतना लिख दिया कि पत्रावली पर पूर्व फैसले का दस्तावेज उपलब्ध नहीं था न ही वर्तमान जमाबंदी में रास्ता का अंकन था, जबकि पत्रावली पर तथ्य स्पष्ट उपलब्ध थे, जिसको नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में परिक्षण न्यायालय ने भारी भूल की है जो काबिल खारिज है। परिक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.06.2019 को तहसीलदार बावड़ी व पटवारी सोयला द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर उल्लेख किया कि खसरा नं. 151/1 में आवागमन हेतु खसरा नं. 154/3 में गुजरने वाले रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। जबकि तहसीलदार बावड़ी, भू-अभिलेख निरीक्षक खेड़ापा एवं पटवारी सोयला पूर्व मौका रिपोर्ट मय नक्शा पेश कर खसरा नं. 151 से गुजरने वाले दो तरफा रास्ता उपलब्ध होना दर्शाया गया और तीसरा रास्ता खसरा नं. 154 के लिए दर्शाया गया है। पूर्व रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिनांक 20.06.2019 को झूठी रिपोर्ट पेश की जो एक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 167 के तहत आपराधिक कृत्य है, जिसको परिक्षण न्यायालय ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो काबिल खारिज है। हस्तगत प्रकरण में भू-अभिलेख निरीक्षक से नीचे के पद का कार्मिक मौका रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.06.2019 में केवल खसरा नं. 154/3 में सें ए से बी रास्ता दर्शाया गया रास्ता किस रास्ते से जुड़ता है? इस तथ्य को छुपाया गया है। खसरा नं. 154 के आगे खसरा नं. 155 गैर मुमकिन आगोर है, जिसमें से कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। खसरा नं. 151/1 के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जो काबिल खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। अंत में अपीलंट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 अक्टूबर 2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क को खारिज फरमाया जावें।

जबाब में अधिवक्तागण-रेस्पो. ने कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पो. के खातेदारी खेत खसरा नं.151/3 में आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई का निकटतम रास्ते का विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2019 जिसमें मौके पर प्रार्थीगण के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया गया। **मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का सोयला द्वारा तैयार की गई है।** प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियमानुसार **भू-अभिलेख निरीक्षक से कम पद का कार्मिक मौका रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता है।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया कि प्रदत रास्ता आगे जाकर किस गैर मुमकिन रास्ते से जाकर मिलता है। रास्ता केवल अपीलांट के खेत में ही कटाणी किये जाने के आदेश पारित किये गये है। **अपीलाधीन प्रदत रास्ते में निरंतरता का अभावा पाया जाता है। खसरा नं. 154/1 से आगे खसरा नं. 155 गैर मुमकिन आगोर स्थित है जो प्रतिबंधित श्रेणी का होने से नियमानुसार उसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता है।** पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार तहसीलदार बावड़ी द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2018 मे खसरा नं. 151/1 सहित अन्य खसरान् में आवागमन हेतु कदीमी रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन स्वीकार कर दिनांक 15.06.2018 को आदेश क्रमांक/कैम्प/2018/890 के जरिये नजरी नक्शे में वर्णित खसरान् अनुसार प्रस्तावित भूमि को गैर मुमकिन रास्ता में परिवर्तित किये जाने के आदेश पारित किये गये, इसकी पालना राजस्व रिकॉर्ड में होकर कोई गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अमल दरामद होना नहीं पाया गया है। उक्त दस्तावेजो पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर ही नही किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22 अक्टूबर 2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में **खसरा नं. 151/1 में आवागमन हेतु पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बावड़ी की मौका रिपोर्ट मे दर्शित**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विकल्पो के अनुसार खातेदारान् को पक्षकार संयोजित कर उभय पक्ष की समुचित सुनवाई पश्चात् विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर